विंध्यवासिनी मंदिर संपत्ति विवाद पर हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, मालिकाना हक पर फैसला

पुजारी केवल पूजा के प्रबंधक, मंदिर संपत्ति के मालिक नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पुजारी केवल पूजा-अर्चना करने के लिए नियुक्त प्रबंधक होते हैं न कि मंदिर की संपत्ति के स्वामी। यह टिप्पणी जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने श्री विंध्यवासिनी मां बिलाईमाता मंदिर (धमतरी) से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दी।

मामला पुजारी परिषद समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर शर्मा की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था। शर्मा ने तीन अक्टूबर 2015 को राजस्व मंडल बिलासपुर द्वारा पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले तहसीलदार ने ट्रस्ट रिकार्ड में उनका नाम दर्ज करने का

बिलासपुर हाई कोर्ट। ● फाइल फोटो

आदेश दिया था, जिसे एसडीओ और फिर अपर आयुक्त, रायपुर ने निरस्त कर दिया। अंततः राजस्व मंडल ने भी पुजारी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट विधिवत पंजीकृत संस्था है और वही मंदिर संपत्ति का प्रबंधन करती है। ट्रस्टी बहुमत से प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं, पर मंदिर की संपत्ति पुजारियों या उनके पूर्वजों की नहीं मानी जा सकती।

बीजापुर के 30 गांवों को जोड़ने चिंतावागु नदी पर बनेगा पुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : बीजापुर क्षेत्र में हर साल बारिश के दौरान जलभराव और संपर्कविहीन गांवों की समस्या को लेकर शासन ने हाई कोर्ट में सोमवार को जानकारी दी कि चिंतावागु नदी पर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में टेंडर की कार्यवाही चल रही है। यह मामला अगस्त 2024 की भीषण बारिश के बाद सामने आया था, जब बीजापुर जिले के करीब 30 गांव बाढ़ के पानी से घिर कर टापू जैसे हो गए थे। ग्रामीणों को राशन और जरूरी सामान के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था और शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीजापुर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पीडीएस दुकानों में चार महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही, जहां न्यूनतम 500 हितग्राही होते हैं, वहीं नई पीडीएस दुकानें खोली जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में सोमवार को हुई सुनवाई में शासन ने यह भी कहा कि चिंतावागु नदी पर पुल बन जाने के बाद गांवों का संपर्क कायम हो सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई के लिए तारीख नियत नहीं की है, लेकिन मामले पर निगरानी जारी रहेगी।